न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, (श्रंखला न्यायालय) जतारा

जिला टीकमगढ़ म.प्र.

(समक्षः— एल.डी.सोलंकी)

Regiostration No 01/2018
Filing No.7/2018
CNR No.MP3605-000014-2018
Filing Date 02-01-2018

1. लक्ष्मी उर्फ लच्छी यादव, उम्र लगभग 35 वर्ष,
पुत्र रामदीन यादव,
2. महेश राजपूत, उम्र लगभग 30 वर्ष,
पुत्र जगतराम राजपूत,
3. लक्खू, उम्र लगभग 40 वर्ष,
पुत्र जगतराम राजपूत,
4. हल्के, उम्र लगभग 22 वर्ष,
पुत्र रामदीन यादव,
निवासीगणः—ग्राम नयागांव, थाना पलेरा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....**अपीलार्थीगण/अनावेदकगण**

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र पलेरा,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ..... **प्रत्यर्थी/आवेदक**

———————————————————————————

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा जिला टीकमगढ़ सुश्री चेतना पालीवाल के न्यायालय के दांडिक प्रकरण (.RCT No.201115/2011 Filing No. 116/2011 CNR No. MP3605-000101-2011 Filing Date 09-12-2011) मध्य प्रदेश राज्य विरूद्व लक्ष्मी बगैरह (पुलिस थाना पलेरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ के अपराध क्रमांक 187/2011 अंतर्गत धारा 325, 324, 323, 294, 34 भा0दं0सं0 1860) में घोषित निर्णय दिनांक 26.12. 2017 से उद्भूत दांडिक अपील।

———————————————————————————

::: <u>नि र्ण य</u> :::

<u>(आज दिनांक 14.05.2019 को घोषित)</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक अपील न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जतारा (सुश्री चेतना पालीवाल) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रं. 1115/11 निर्णय दिनांक 26.12.17 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसके तहत अपीलार्थीगण को धारा 323/34 भा.द.वि. में सिद्ध दोष घोषित कर प्रत्येक को क्रमशः 3–3 माह के सश्रम कारावास तथा 500–500/–रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 325/34 भा.दं.वि. में 1–1 वर्ष के सश्रम करावास एवं 1,000–1,000/–रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिए धारा 323/34 में 15–15 दिवस एवं धारा 325/34 में 1–1 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। अपील में अपीलार्थीगण को यथासमय आरोपीगण तथा प्रत्यर्थी को शासन/राज्य भी लिखा जाएगा।

2. संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला यह था कि दिनांक 09.10.11 को रात्रि 9 बजे जब फरियादी तालाब की रखवाली कर रहा था तभी उसने देखा कि लच्छी, महेश, लक्खू व हल्के तालाब में मछलिया पकडने के लिए जरिया डाले थे जब फरियादी ने कहा कि मछली क्यों मार रहे हो तो लच्छी व महेश उसे गालियां देकर बोले कि तालाब उसके बाप का है जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो लच्छी यादव ने एक लाठी मारी जो उसके दोनों हाथ के पंजों में लगी, दूसरी लाठी लम्खू राजपूत ने मारी जो दाहिने कंधे में लगी, जब वह चिल्लाया तो उसका चचेरा भाई जगदीश उसे बचाने आया तब लच्छी व हल्के ने उसके भाई जगदीश राजपूत की लाठियों से मारपीट की उसने जगदीश को बचाना चाहा तो महेश ने उसके दांये गाल में दाडी के नीचे दांतों से काट लिया, फरियादी के गाल से खून निकलने लगा। मौके पर सतीश, दिनेश आ गये, उन्होंने घटना देखी और बीच बचाव किया। सभी लोग जाते समय बोले कि आज तो बच गये, दुवारा दिखा तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना पलेरा में अपराध क्रमांक 187/11 धारा 324, 323, 294 भादस के अंतर्गत प्र0पी01 लेख करवाई, आहतगण का चिकित्सीय व एक्सरे परीक्षण कराया

गया। घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी02 बनाया जाकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये तथा उनसे बांस के डंडे जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार कर साक्षीगण के कथन लेखवद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323, 323/34, 324, 324/34, 325, 325/34, 294 भा.द.वि. के आरोप पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया है। अभियुक्त परीक्षण में भी अपराध करना अस्वीकार किया है तथा चुनावी रंजिश के कारण भैयालाल द्वारा झूठा फंसाया जाना बताया गया है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन साक्ष्य अंकित करने तथा उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात प्रश्नगत निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण को निर्णय के चरण कं. 27 अनुसार दोष सिद्ध पाकर दण्डित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा अपील पेश की गई है।

4. अपील में यह आधार लिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है। फरियादी एवं साक्षीगण के कथनों में भारी विरोधाभाष है। साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित विश्लेषण न कर आलोच्य आदेश मनमाने तौर पर पारित किया गया है। मछलियां पकड़ने से संबंधित कोई जप्ती अभिलेख पर नहीं है तथा विवेचक द्वारा चोकीदार के संबंध में विधिवत् साक्ष्य एकत्रित नहीं की है। फरियादी ने अपीलार्थीगण के विरूद्व पुरानी रंजिश के कारण प्रकरण असत्य रूप से असत्य घटना लेख कर पंजीवद्ध कराया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

5. अपील के ज्ञापन और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया, उभयपक्ष को सुना। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश विधि, तथ्य एवं साक्ष्य के विपरीत होकर हस्तक्षेप योग्य है ?

:– विचारण प्रश्न पर सकारण विवेचन :–

06. डॉ0 राजेन्द्र कुमार अ0सा07 ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 09.10.11 को सी0एच0सी0 पलेरा में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पलिस थाना पलेरा के आरक्षक श्यामलाल नंबर 08 द्वारा आहत भैयालाल पुत्र बालादीन राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी अतरार को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था जिसे परीक्षण उपरांत निम्न चोटे पाई थीः–

1. फटा हुआ घाव 3 गुणा 0.5 सेमी गुणा 0.5 सेमी दांये गाल पर।
2. छिलन 2 गुणा 2 सेमी दांये हाथ में।
3. छिलन 1 सेमी गुणा 0.5 सेमी दांये गर्दन के पास।

साक्षी ने सभी चोटे सख्त एवं भौथरी वस्तु से साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के 4 घंटे के अंदर की थी रिपोर्ट प्र0पी011 है।

07. डॉ0 राजेन्द्र कुमार ने उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत जगदीश पुत्र बाबूलाल राजपूत उम्र 44 वर्ष निवासी अतरार का भी परीक्षण किया था जिसे परीक्षण उपरांत निम्न चोटे पाई थीः–

1. छिलन आधा सेमी गुणा आधा सेमी दांये हाथ के अंगूठे पर।
2. छिलन सूजन 1 गुणा 1 सेमी दांये हाथ के बीच वाली उंगली के पीछे के भाग में।
3. दर्द एवं सूजन 1 गुणा आधा सेमी बांये हाथ के रिंग फिंगर पर।
4. दर्द एवं सूजन 3 गुणा 1 सेमी बांयी जांघ में सामने की ओर।
5. आहत ने दांये कंधे में दर्द की शिकायत की थी किन्तु कोई बाहरी चोट नहीं थी।

साक्षी ने चोट क्रमांक 2, 3 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी तथा चोट क्रमांक 1, 4, 5 साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के 4 घंटे के भीतर की है। एक्सरे परीक्षण करने पर चोट क्रमांक 3 में आहत को बांये हाथ की फोर्थ मैटाकार्पल की हड्डी में अस्थिभंग पाया था उसकी मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी012 व एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी013 है। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने बताया कि कठोर वस्तु पर गिरने से उक्त चोटे आना संभव है या तालाब की बंधान की उचाई से लुडकते हुए गिरने पर चोट आना संभव है। वह हड्डी विशेषज्ञ और एक्सरा विशेषज्ञ नहीं है।

8. चिकित्सक के अनुसार उपरोक्त चोटे गिरने से आना संभव है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या आहतगण को आई चोटे गिरने से आई?

9. बालादीन राजपूत अ0सा01 ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है, जगदीश उसका चचेरा भाई है। घटना 09.10.11 की रात्रि 8–9 बजे की होकर लच्छी तालाब में मछलियां पकड़ने का फंदा डाल रहा था वहीं पर महेश एवं लक्छी भी था उसने उन्हें मछलियां पकड़ने से मना किया तो वे उसे गालियां देने लगे तो उसकी हल्के व लच्छी दोनों ने लाठियों से मारपीट कर दी, जगदीश बचाने आया तो लच्छी एवं हल्के ने उसकी भी मारपीट कर दी उसे महेश ने दाहने तरफ गाल पर मुह से काट लिया जगदीश को हाथ, जांघ की उगलियों में चोटे आई थी उसे दाहिने कंधे, दाहिने गाल पर और दोनों हाथों के पंजों पर चोटे थी। मौके पर सतीष व दिनेश आ गये थे। उसने घटना की रिपोर्ट थाना पलेरा में की थी। पुलिस मौके पर आई और प्र0पी02 का नक्शा मौका बनाया था। पुलिस ने उससे पूछतांछ की थी।

10. बाबूलाल अ0सा02 ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना 09.10.11 की रात्रि 8–9 बजे की होकर वह, लच्छी, हल्के, महेश लक्खी तालाब में मछलियां पकड़ने का फंदा डाल रहे थे उसने और भैयालाल ने उन्हें मछलियां पकड़ने से मना किया तो वे उन्हें गालियां देने लगे तो भैयालाल की महेश व लच्छी दोनों ने लाठियों से मारपीट कर दी, महेश ने भैयालाल के गाल पर मुह से काट लिया, हल्के एवं लच्छी दोनों ने उसकी लाठियों

से मारपीट कर दी जिससे उसे दोनों हाथों के पंजों पर, जांघ पर चोट आई थी व बांये हाथ की अनामिका उंगली में फैक्चर हो गया था। मौके पर सतीश और दिनेश आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी। पुलिस ने उनकी डॉक्टरी कराई थी व घटना स्थल पर आकर प्र0पी02 का नक्शा मौका बनाया था व उसके बयान लिये थे।

11. सतीश राजपूत अ0सा03 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपीगण व आहतगण को जानता है। घटना दिनांक 23.09.16 से करीब चार पांच साल पहले 8–9 बजे शाम की बात है वह तालाब में मछली की चौकीदारी करता था और दूसरे किनारे पर था तभी लोहार विश्वकर्मा के खेत से जगदीश और भैयालाल के चिल्लाने की आवाज आई कि महेश व लच्छी मार रहे है। लच्छी ने जगदीश को लाठी से मारा और महेश ने दांतों से भैयालाल के मुंह में काट लिया था एवं आरोपी हल्के, लक्खू एवं लच्छी जगदीश को नीचे पटककर मार रहे थे वह और दिनेश मौके पर पहुचे और पूछा तो मछली के विवाद से मारपीट होना बताया। उसने आहतगण को उठाकर अस्पताल पलेरा ले जाना बताया है।

12. दिनेश अ0सा04 ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण व आहतगण को जानता है। वह तालाब में मछली की चौकीदारी करता था, जगदीश और भैयालाल भी चौकीदारी करते थे। लोहार के खेत में लच्छी और महेश व लक्खू हल्के ने जगदीश और भैयालाल की मारपीट की थी। भैयालाल का गाल महेश ने दांतों से काट लिया था। जगदीश को हल्के ने लाठी से मारीपट की थी और पीठ में भी लाठियों से मारपीट की थी। लक्खी, हल्के व लच्छी ने लाठियों से मारपीट की थी, उन लोगो को चिल्लाने की आवाज आई बचाओ तो वे वहां पहुंच गये थे। विवाद मछली पर से हुआ था।

13. साक्षी ओ के टाण्डिया अ0सा05 ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 09.10.11 को थाना पलेरा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था और फरियादी की रिपोर्ट प्र0पी01 उसके द्वारा लेख की गई। साक्षी हवीव खांन अ0सा05 ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 09.10.11 को थाना पलेरा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था और उसने अनुसंधान के दौरान प्र0पी02 का नक्शा मौका

बनाया। साक्षी भैयालाल, जगदीश, सतीश, दिनेश के कथन उनके बताये अनुसार लिये, आरोपीगण को गिरफ्तार कर पंचनामा प्र0पी03 लगायत 06 और लकड़ी जप्त कर पंचनामा प्र0पी08 लगायत 10 बनाये।

14. साक्षी भैयालाल, जगदीश, सतीश, और दिनेश के प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई जिससे उनके मुख्य कथनों पर अविश्वास किया जा सके। साक्षी सतीश ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि डॉ0 ने यह नहीं बताया कि किस उंगली में फ्रेक्चर आया है। साक्षी दिनेश ने भी अपने प्रतीपरीक्षण में बताया कि साक्षी दिनेश को किस हाथ पर चोट आई और किस गाल पर काटा नहीं बता सकता।

15. साक्षी हबीव खां एवं ओ के टाण्डिया के प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई जिससे प्र0पी01 की रिपोर्ट और अनुसंधान शंकास्पद हो। साक्षी जगदीश और भैयालाल को चोटे आई। उक्त चोट आरोपी हल्के और लच्छी ने मारपीट करके पहुचाई थी जो साक्षी भैयालाल के कथन से स्पष्ट है। साक्षी जगदीश के कथन से यह स्पष्ट है कि हल्के और लच्छी दोनों ने ही मारपीट की थी जबकि महेश ने भैयालाल के गाल पर काटा था। चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार भैयालाल के गाल पर फटा हुआ घाव था, काटने का कोई घाव नहीं बताया गया। ऐसी स्थिति में आरोपी लक्खू द्वारा भी मौके पर उपस्थित रहकर अन्य आरोपीगण द्वारा जो मारपीट की जा रही थी उसमें सहयोग किया गया। आहतगण को गिरने से चोट नहीं आई थी।

16. उपरोक्त अभिनिर्धारण एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के निरपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323/34, 325/34 में दोषसिद्धी की है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः आरोपीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त धारा में दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है।

17. आरोपीगण के अधिवक्ता ने दण्ड के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कथन किया है। घटना की परिस्थति एवं चोटो की प्रकृति तथा उंगली में आई अस्थिभंग को देखते हुए आरोपीगण ने एक मत होकर मारपीट की है। ऐसी स्थिति में उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। जहां तक

दण्ड का प्रश्न है। प्रकरण वर्ष 2011 से विचाराधीन है लगभग 8 वर्षो तक विचारण की लम्वी प्रक्रिया का सामना आरोपीगण द्वारा किया गया है। ऐसी परिस्थति में कारावास के दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुए अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय की मंशा पूर्ण हो सकती है।

18. अतः चारों आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि में 1,000–1,000/–रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा धारा 325/34 भादवि में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 2,000–2,000/–रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो अर्थदण्ड की राशि जमा कराई गई है उसे समायोजित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर आरोपीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश को भुगतेगें।

19. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की राशि में से आहतगण को दिलाई गई क्षतिपूर्ति के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा जप्तशुदा लाठी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है।

20. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर, घोषित किया गया

{एल0डी0सोलंकी}
अपर सत्र न्यायाधीश
(श्रृंखला न्यायालय) जतारा
जिला टीकमगढ़ {म0प्र0}

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

{एल0डी0सोलंकी}
अपर सत्र न्यायाधीश
(श्रृंखला न्यायालय) जतारा
जिला टीकमगढ़ {म0प्र0}

LILADHAR SOLANKI

Digitally signed by LILADHAR SOLANKI
DN: c=IN, o=MADHYA PRADESH DISTRICT COURT UJJAIN, postalCode=456010, st=Madhya Pradesh, 2.5.4.20=86fe5edde8819e134d345f234a6f31f89e1a896724c0a3a9d221c34d9ab31112, cn=LILADHAR SOLANKI
Date: 2019.05.14 11:41:40 -07'00'